UPMP010023012013

Presented on : 25-11-2013
Registered on : 25-11-2013
Decided on : 15-04-2026
Duration : 12 years, 4 months, 20 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०- 4, मैनपुरी।

पीठासीनः जहेन्द्र पाल सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(कम्प्यूटरीकृत पंजीयन संख्या- **100685/2013**)

1- उत्तर प्रदेश राज्य

- - - - - - - - - - - - - - अभियोजन पक्ष

प्रति

आशाराम पुत्र अमृत सिंह निवासी हवेली थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी।

- - - - - - - - - अभियुक्त

सत्र परीक्षण संख्या- 685/ 2013

मु०अ०सं०- 49/ 2012

धारा - 304 एवं 504 भा. द. स.

थाना- बिछवां, जनपद- मैनपुरी।

UPMP010018042014

Presented on : 11-02-2014
Registered on : 11-02-2014
Decided on : 15-04-2026
Duration : 12 years, 2 months, 4 days

(कम्प्यूटरीकृत पंजीयन संख्या- **100084/2014**)

2- उत्तर प्रदेश राज्य

- - - - - - - - - - - - अभियोजन पक्ष

प्रति

आशाराम पुत्र अमृत सिंह निवासी हवेली थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी।

--------- अभियुक्त

सत्र परीक्षण संख्या- 84/ 2014

मु०अ०सं०- 151/ 2012

धारा - 3/ 25 आयुध अधिनियम

थाना- बिछवां, जनपद- मैनपुरी।

अधिवक्तागण-

1. श्री पुष्पेन्द्र दुवे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)

2. श्री कृष्णऔतार सिंह (अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता)

निर्णय

1. थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी के विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. के अन्तर्गत आरोप पत्र विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में पेश किया गया तथा दिनांक 25. 10. 2012 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक 21. 11. 2013 को यह पत्रावली सत्र सुपुर्द की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजेश कुमार पुत्र अमृत सिंह निवासी ग्राम हवेली, थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी द्वारा दिनांक 04. 02. 2012 को थानाध्यक्ष थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी को एक हस्तलिखित तहरीर इस आशय की दी है कि आज दिनांक 04. 02. 2012 समय करीब 7. 30 बजे प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र श्री अमृत सिंह निवासी गांव हवेली, थाना बिछवां अपने घर पर गाय का गोबर एवं साफ सफाई कर रहा था। उसी समय उसका बड़ा भाई आशाराम घर पर आया और घर के बटवारे को लेकर गाली गलौज करने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया, तो उसके साथ धक्का- मुक्की करने लगा, उसी दौरान उसने हाथ में लगे तमन्चे से फायर किया, जिससे उसके पास में खड़ी उसकी मां श्रीमती अतरश्री के गोली लगने से मौके पर मृत्यु हो गयी। इस घटना को उसकी पत्नी श्रीमती अर्चना ने देखा।

3. वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 04. 02. 2012 को थाने पर दी गई तहरीर/ प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी में अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध मु०अ०सं०- 49/ 2012 अन्तर्गत धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. में मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध भा. द. स. की धारा- 304 एवं 504 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त आशाराम को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। वह उपस्थित आया और दिनांक 07. 01. 2014 को तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 6, मैनपुरी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 एवं 504 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने लगाए गए आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

5. थाना- बिछवां, जिला मैनपुरी के विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त मु०अ०सं०- 151/ 2012, अन्तर्गत धारा- 3/ 25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 2, मैनपुरी के न्यायालय में पेश किया गया तथा दिनांक 17. 09. 2012 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 2, मैनपुरी द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक 30. 01. 2014 को यह पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

6. मु०अ०सं०- 151/ 2012, अंतर्गत धारा- 3/ 25 आयुध अधिनियम के संबंध में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05. 07. 2012 को वह एस. ओ. जयनरायन सिंह मय एस. आई. श्री शिवदास सिंह, कांस्टेबल 943 संजय कुमार, कांस्टेबल 892 सन्तोष कुमार मय जीप सरकारी सं०- UP 84 G 0113 कांस्टेबल चालक शाकिर अली मय अभियुक्त पुलिस कस्टडी रिमाण्ड आशाराम पुत्र अमृत सिंह निवासी ग्राम हवेली थाना बिछवां, जिला मैनपुरी संबंधित मु०अ०सं०- 49/ 2012, धारा- 304, 504 भा. द. स. के वहवाले रपट सं०- 31 समय 18. 30 बजे शाम रवाना होकर उम्मीद बरामदगी आलाकत्ल तमंचा कारतूस के अभियुक्त द्वारा बताये हुए स्थान को रवाना होकर ग्राम तिसोली होते हुए मैनपुरी कुरावली रोड पर आये। ग्राम हवेली के नजदीक कच्चे रास्ते मोड़ पर आये, तो अभियुक्त ने बताया कि साहब आगे गाड़ी नहीं जा पायेगी। गाड़ी मोड़ पर छोड़कर वउम्मीद बरामदगी आलाकत्ल जनता के गवाहन व गांव के व्यक्तियों को गवाही हेतु चलने को कहा गया, तो भलाई बुराई के कारण व भाई- भाई का मामला होने के कारण कोई भी गवाही को साथ चलने को तैयार नहीं हुआ, वमजबूरी अभियुक्त के समक्ष आपस में उन पुलिस वालों ने एकदूसरे की जामातलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई जुर्म संबंधी वस्तु नहीं है। अभियुक्त कच्चे रास्ते से आगे- आगे चलकर अपने ट्यूवैल के पास आया। ट्यूवैल के पास गढ़े बिजली के 3 वल खम्भों के ऊपर रखे ट्रान्सफॉर्मर व झोपड़ी के बीच खड़ा हो गया और झोपड़ी के पीछे जमीन से मिट्टी हटाकर जमीन से निकालकर समय करीब 19. 05 बजे पॉलीथिन में लिपटा हुआ तमंचा कारतूस देते हुए बताया कि साहब दिनांक 04. 02. 2012 को सुबह करीब 7. 30 बजे अपने भाई राजेश के मकान पर मकान के बटवारे के तोड़ के एक लाख पांच हजार रुपये लेने गया था, जिस पर उसके भाई राजेश से रुपये न देने की आना कानी करने पर उसका वहीं तमन्चा उससे चल गया था, जिससे उन लोगों के पास खड़ी मां की गर्दन में गोली लगी थी,

जिसकी मौके पर मृत्यु हो गयी थी। उसने इस तमंचे को मय खोखा कारतूस व कारतूस एक जिन्दा के पॉलीथिन में लपेटकर ट्यूवेल के पास बनी झोपड़ी के पास जमीन में छिपा दिया था, जो आज वह उसको दे रहा है। उससे गलती हो गयी। पॉलीथिन को खोलकर देखा गया, तो एक तमंचा देशी 315 बोर कुल लम्बाई करीब एक वालिस्त, बट करीब 3 अंगुल, जिस पर काली रबड़ चढ़ी है। बॉडी करीब 4 अंगुल ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड हेमर मय फायरिंग पिन नाल की लम्बाई करीब 7 अंगुल नाल को खोलने व बन्द करने के लिए नाल के ऊपर पत्तीदार लीवर लगा है। बॉडी में नाल नट बोल्ट से कसी है। नाल को खोलकर देखा तो नाल में एक खोखा फसा है, जिसकी पेंदी पर 8MMKF लिखा है तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर पीतल, जिसकी पेंदी पर 8MMKF लिखा है। बरामद हुआ तमंचा चालू हालत में है। तमंचा व कारतूस व खोखा रखने के संबंध में अभियुक्त से पूछा गया, तो माफी मांगने लगा। तमंचा व कारतूस व खोखा को एक कपड़े में रखकर सीलमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर एस. आई. शिवदास सिंह से बोल बोलकर लिखाई गई। हमराह कर्मचारीगण को व अभियुक्त को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के समय माननीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त का यह जुर्म धारा- 3/ 25 आर्म्स एक्ट की हद को पहुंचता है। अपराध से अवगत कराया गया। उक्त अपराध के संबध में अभियुक्त के परिजनों को सूचना अलग से दी जा रही है।

7. अभियुक्त आशाराम को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। वह उपस्थित आया और दिनांक 25. 02. 2014 को तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 6, मैनपुरी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा- 3/ 25 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने लगाए गए आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

8. तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांक 02. 04. 2014 के माध्यम से सत्र परीक्षण सं०- 685/ 2013, मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. तथा सत्र परीक्षण सं०- 84/ 2014, मु०अ०सं०- 151/ 2012, अंतर्गत धारा- 3/ 25 आयुध अधिनियम को समेकित किया गया तथा सत्र परीक्षण सं०- 685/ 2013 को अग्रणी सत्र परीक्षण बनाया गया।

9. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 13. 05. 2024 के माध्यम से उपरोक्त पत्रावलियां इस न्यायालय को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई।

10. अभियोजन पक्ष की तरफ से उनके कथनों के समर्थन में निम्न वर्णित साक्षीगण परीक्षित कराए गए हैं-

पी० डब्लू० 01- राजेश कुमार (वादी मुकदमा/ मृतका का पुत्र)

पी० डब्लू० 02- अर्चना (वादी मुकदमा की पत्नी)

पी० डब्लू० 03- मैदान सिंह उर्फ सौदान सिंह (पंचायतनामा का साक्षी)

पी० डब्लू० 04- सुभाष चन्द्र (स्वतन्त्र साक्षी)

पी० डब्लू० 05- अवधेश सिंह (स्वतन्त्र साक्षी)

पी० डब्लू० 06- डॉ० आर. डी. यादव (पोस्टमार्टमकर्ता)

पी० डब्लू० 07- निरीक्षक जयनरायन सिंह (मु०अ०सं०- 151/ 2012, धारा- 3/ 25 आर्म्स एक्ट का वादी)

पी० डब्लू० 08- निरीक्षक वशिष्ठ यादव (प्रथम विवेचक)

पी० डब्लू० 09- एस. आई. शिवदास सिंह(फर्द का साक्षी)

पी० डब्लू० 10- निरीक्षक एस. के. मेहरा (द्वितीय विवेचक)

पी० डब्लू० 11- एस. आई. नन्दकिशोर (मु०अ०सं०- 151/ 2012, धारा- 3/ 25 आर्म्स एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जी. डी. लेखक)

पी० डब्लू० 12- उपनिरीक्षक नेत्रपाल सिंह (तृतीय विवेचक)

पी० डब्लू० 13- निरीक्षक बेनीमाधव त्रिपाठी (पंचायतनामा सिद्धकर्ता)

पी० डब्लू० 14- उपनिरीक्षक चरन सिंह (मु०अ०सं०- 49/ 2012, धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. का प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जी. डी. लेखक)

11. अभियोजन की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश एवं सिद्ध किए गए हैं-

क्र० सं०	**दस्तावेज/ वस्तु का विवरण**	**प्रदर्श नम्बर**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1.	मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. की तहरीर कागज सं०- 12 अ	प्रदर्श क- 1	राजेश कुमार
2.	मृतका अतरश्री की शव विच्छेदन आख्या कागज सं०- 6 अ	प्रदर्श क- 2	डॉ० आर. डी. यादव
3.	अभियुक्त आशाराम की निशानदेही पर बरामद एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस की फर्द कागज सं०- 4 अ/ 3	प्रदर्श क- 3	जयनरायन सिंह

4.	मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. का आरोप पत्र कागज सं०- 3 अ	प्रदर्श क- 4	वशिष्ठ यादव
5.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज सं०- 14 अ/ 1	प्रदर्श क- 5	वशिष्ठ यादव
6.	मु०अ०सं०- 151/ 2012, धारा- 3/ 25 आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं०- 4 अ/ 1 लगायत 4 अ/ 2	प्रदर्श क- 6	नन्दकिशोर
7.	उक्त मुकदमे की जी. डी. कागज सं०- 7 अ/ 3	प्रदर्श क- 7	नन्दकिशोर
8.	उक्त मुकदमे का नक्शानजरी कागज सं०- 5 अ	प्रदर्श क- 8	नेत्रपाल सिंह
9.	उक्त मुकदमे का आरोप पत्र कागज सं०- 3 अ/ 1	प्रदर्श क- 9	नेत्रपाल सिंह
10.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अभियोग की स्वीकृति कागज सं०- 6 अ	प्रदर्श क- 10	नेत्रपाल सिंह
11.	घटना स्थल का नक्शानजरी कागज सं०- 4 अ	प्रदर्श क- 11	बेनीमाधव त्रिपाठी
12.	मृतका अतरश्री का पंचायतनामा कागज सं०- 5 अ/ 1 लगायत 5 अ/ 2	प्रदर्श क- 12	बेनीमाधव त्रिपाठी
13.	चालाननाश कागज सं०- 5 अ/ 4	प्रदर्श क- 13	बेनीमाधव त्रिपाठी
14.	फोटोनाश कागज सं०- 5 अ/ 5	प्रदर्श क- 14	बेनीमाधव त्रिपाठी
15.	चिट्ठी आर. आई. कागज सं०- 5 अ/ 6	प्रदर्श क- 15	बेनीमाधव त्रिपाठी
16.	चिट्ठी सी. एम. ओ. कागज सं०- 5 अ/ 7	प्रदर्श क- 16	बेनीमाधव त्रिपाठी
17.	मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304, 504 भा. द. स. की प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं०- 11 अ/ 1 लगायत 11 अ/ 2	प्रदर्श क- 17	चरन सिंह
18.	उक्त मुकदमे की जी. डी. कागज सं०- 7 अ/ 3	प्रदर्श क- 18	चरन सिंह
19.	अभियुक्त आशाराम की निशानदेही पर बरामद	वस्तु प्रदर्श- 1	जयनरायन सिंह

	एक तमन्चा 315 बोर		
20.	एक जिन्दा कारतूस 315 बोर	वस्तु प्रदर्श- 2	जयनरायन सिंह
21.	एक खोखा कारतूस 315 बोर	वस्तु प्रदर्श- 3	जयनरायन सिंह

12. अभियुक्त का मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. एवं मु०अ०सं०- 151/ 2012, अंतर्गत धारा- 3/ 25 आयुध अधिनियम के बयान अंतर्गत धारा- 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिनमें क्रमशः यह कथन किये गये हैं कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया। उसे झूठे मुकदमे में फसाया गया है। दिनांक 04. 02. 2012 को समय करीब 7. 30 बजे के संबंध में किये गये अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है एवं अभियोजन साक्षी सं०- 1 राजेश कुमार, साक्षी सं०- 2 अर्चना, साक्षी सं०- 3 मैदान सिंह उर्फ सौदान सिंह, साक्षी सं०- 4 सुभाष चन्द्र, साक्षी सं०- 5 अवधेश सिंह द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान के संबंध में कोई विपरीत कथन नहीं किये गये हैं, अर्थात् "कुछ नहीं कहना" अंकित किया गया है तथा अभियोजन साक्षी सं०- 6 डॉ० आर. डी. यादव तथा जयनरायन सिंह द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान को गलत बताया है एवं अभियोजन साक्षी सं०- 8 वशिष्ठ यादव द्वारा न्यायालय में झूठा आरोप पत्र दाखिल किये जाने का कथन किया है तथा अभियोजन साक्षी सं०- 9 शिवदास सिंह द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान को गलत बताया गया है तथा साक्षी सं०- 10 ए. के. मेहरा द्वारा न्यायालय में गलत बयान दर्ज कराये जाने का कथन किया गया है तथा अभियोजन साक्षी सं०- 11 नन्दकिशोर द्वारा आयुध अधिनियम की झूठी रिपोर्ट तथा झूठी कायमी दर्ज कराये जाने का कथन किया गया है तथा अभियोजन साक्षी सं०- 12 नेत्रपाल सिंह द्वारा मु०अ०सं०- 151/ 2012, अंतर्गत धारा- 3/ 25 आर्म्स एक्ट की नक्शानजरी, आरोप पत्र तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोग की स्वीकृति को गलत बताया गया है तथा नक्शानजरी गलत तैयार किये जाने का कथन किया गया है। अभियोजन साक्षी सं०- 13 बेनीमाधव द्वारा मु०अ०सं०- 49/ 2012 की नक्शानजरी, पंचायतनामा आदि को गलत साबित किये जाने का कथन किया गया है तथा अभियोजन साक्षी सं०- 14 चरन सिंह द्वारा मु०अ०सं०- 49/ 2012 अंतर्गत धारा- 304 व 504 भा. द. स. की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी. डी. कायमी को गलत साबित करने का कथन किया गया है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से साबित कराये गये प्रदर्श संख्या क- 1 लगायत क- 18 तथा वस्तु प्रदर्श- 1 लगायत 3 को गलत साबित किये जाने का भी कथन किया गया है और उसके विरुद्ध मुकदमा झूठा चलाने जाने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य दिये जाने का कथन अवश्य किया गया था, परन्तु अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, इसलिए न्यायालय द्वारा उसका साक्ष्य का

अवसर समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार अभियुक्त मु०अ०सं०- 151/2012, अंतर्गत धारा- 3/25 आयुध अधिनियम में तमन्चे बरामदगी की फर्द एवं अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है तथा अभियोजन साक्षी जयनरायन सिंह द्वारा तमन्चा 315 बोर, जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस की फर्द कागज सं०- 4 अ/3 व वस्तु प्रदर्श- 1 के रूप में साबित तमन्चे की बरामदगी, एक जिन्दा कारतूस तथा खोखा कारतूस को साबित किये जाने को गलत बताया गया है एवं अभियोजन साक्षी शिव सिंह द्वारा तमन्चे की बरामदगी, खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस के संबंध में न्यायालय में दिये गये बयान को गलत बताया है तथा अभियोजन साक्षी एस. के. मेहरा द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान गलत अंकित कराये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा मु०अ०सं०- 151/2012, अंतर्गत धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहित प्रदर्श क- 3,5,6,7,8,9,10 तथा वस्तु प्रदर्श- 1 लगायत 3 को गलत साबित किये जाने का कथन किया गया है और उसके विरुद्ध मुकदमा झूठा चलने व सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया गया है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 1 के रूप में राजेश कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि वह तीन भाई है। बड़े भाई आशाराम, उससे छोटे सुरेन्द्र कुमार व उनसे छोटा वह है। **घटना दिनांक 04. 02. 2012 सुबह 5. 00 बजे की है। उसके घर के दो दरवाजे हैं। पिछवाड़े दरवाजे से उसकी मां अतरश्री शौचक्रिया हेतु खेतों की तरफ गयी थी। कुछ बदमाश, उसकी मां के पहने हुए हसली व कुण्डल सोने के छीनने लगे। उसकी मां ने विरोध किया, तो एक बदमाश ने तमंचे से फायर कर दिया, जिसकी गोली उसकी मां अतरश्री के लगी, जिससे वे घायल होकर जमीन पर गिर गयीं और उनकी मौत हो गयी। फायर की आवाज सुनकर वह तथा उसकी पत्नी अर्चना खेतों की तरफ गयी, तब तक फायर करने वाले बदमाश भाग गये थे।** उसने किसी बदमाश को फायर करने वाले व अंधेरा होने की वजह से नहीं पहचान पाया। **चूंकि उसके भाई आशाराम से हल्की कहासुनी हो गयी थी। इस कारण उसने शक के आधार पर अपने भाई आशाराम के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी।** कागज सं०- 12 अ तहरीर पर बने हस्ताक्षर को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श क- 1 डाला गया। उसने अपनी मां अतरश्री को अपने बड़े भाई आशाराम को तमंचे से गोली मारते हुए नहीं देखा था। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जब विद्वान ए. डी. जी. सी. (क्रिम.) द्वारा वादी मुकदमा राजेश कुमार से जिरह की गयी है, तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि घटना दिनांक 04. 02. 2012 सुबह के समय करीब

7. 30 बजे की है। यह बात भी सही है कि उसकी मां को तमन्चे से गोली लगी थी। उसके घर के दो गेट हैं। पीछे वाले गेट पर उसकी मां की हत्या हुई थी। उस समय वह आगे वाले/ दूसरे गेट पर था। **यह बात भी सही है कि उसने अपने भाई आशाराम के विरुद्ध थाना बिछवां पर स्वयं की उपस्थिति में उसकी मां की हत्या होने की रिपोर्ट लिखायी थी, क्योंकि घटना के समय उसका और उसके भाई का बटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था**। जहां उसकी मां को गोली लगी थी, वहां वह, उसकी पत्नी तथा उसकी मां की चीख पुकार सुनकर गांव के अन्य लोगों के साथ गया था। उसने व गांव वालों ने मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ नहीं पाये थे। गांव के लोगों ने कहा था कि आशाराम ने गोली मारी है। **यह कहना सही है कि उसने अपने भाई आशाराम को बाकी पैसा दे दिया है और अब कोई झगड़ा नहीं है**।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 2 के रूप में अर्चना को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 04. 02. 2012 समय करीब सुबह 7. 30 बजे की है। उसके पति राजेश घर पर गोबर की साफ सफाई कर रहे थे। उसी समय गोली चलने की आवाज आयी। वह लोग भागकर पहुंचे, तो देखा कि उसकी सास श्रीमती अतरश्री के गोली लगी है। गोली मारने वाले को वह नहीं देख पायी थी। उसकी सास मौके पर ही खत्म हो गयी थी। उसके जेठ आशाराम ने उसकी सास की गोली मारकर हत्या नहीं की थी। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जब विद्वान ए. डी. जी. सी. (क्रिम.) द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी है, तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि उसकी सास की हत्या दिनांक 04. 02. 2012 सुबह करीब 7. 30 बजे हुई थी। गोली लगने के बाद वह मौके पर पहुंच गयी थी। वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ में कुछ लोग कह रहे थे कि अतरश्री को गोली आशाराम ने मारी है, परन्तु यह बात कौन कह रहा था, यह वह नहीं बता सकती। जब उसके पति राजेश कुमार ने आशाराम के विरुद्ध मुकदमा लिखाया था, तो वह जेल गये थे। **यह सही है कि अभियुक्त आशाराम उसके सगे जेठ हैं तथा उसके पति के सगे भाई हैं।**

15. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 3 के रूप में मैदान सिंह उर्फ सौदान सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 04. 02. 2012 को मृतका श्रीमती अतरश्री का पंचायतनामा उसके सामने तथा गांव के बहुत से लोगों के सामने किया गया था। मृतका के शव को एक कपड़े में सील मोहर करके पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मैनपुरी भेजा गया था। पत्रावली पर कागज सं०- 5 अ/ 1 व 5 अ/ 2 को देखकर कहा कि यही पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था। इस पर उसके

हस्ताक्षर हैं। पंचायतनामा भरने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। साक्षी सं०- 3 मैदान सिंह उर्फ सौदान सिंह, जोकि पंचायतनामा का गवाह है, ने उसकी मुख्य परीक्षा में उसके सामने पंचायतनामा भरे जाना स्वीकार किया है और जब इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है, तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके सामने घटना घटित नहीं हुई थी और न ही उसके सामने किसी ने मृतका को गोली मारी।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 4 के रूप में सुभाष चन्द्र को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि **दिनांक 04. 02. 2012 को वह लैट्रीन करने घर से गया था। जब वापस आया, तब उसने सुना था कि श्रीमती अतरश्री के किसी ने गोली मार दी है और उनकी मृत्यु हो गयी है।** उसने गोली मारने वाले को नहीं देखा था और न ही उसने गोली मारने वाले का नाम सुना था। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जब विद्वान ए. डी. जी. सी. (क्रिम.) द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी है, तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि **वह दिनांक 04. 02. 2012 को अतरश्री के घर पर गया था और अतरश्री का शव देखा था। उनकी गोली मारकर हत्या की गयी थी।** अभियुक्त आशाराम उनकी मां की हत्या के संबंध में जेल गया था।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 5 के रूप में अवधेश सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि **दिनांक 04. 02. 2012 को समय करीब 7. 30 बजे की घटना है। गांव में अतरश्री को गोली लग गयी थी और उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस घटना की रिपोर्ट राजेश कुमार पुत्र अमृत सिंह ने अपने भाई आशाराम के विरुद्ध करायी थी। घटना के समय वह बाहर गया हुआ था,** इसलिए उसे यह नहीं मालूम कि घटना किस तरह हुयी। अभियोजन साक्षी सं०- 5 अवधेश सिंह ने मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि **दिनांक 04. 02. 2012 को सुबह के करीब 7. 30 बजे घटना हुई थी। गांव में अतरश्री के गोली लग गयी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी।** इस घटना की रिपोर्ट राजेश कुमार ने अपने भाई आशाराम के विरुद्ध लिखायी थी। घटना के समय वह बाहर गया हुआ था। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से पक्षद्रोही घोषित कराया है, जबकि इस साक्षी द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया गया है। मात्र यह कथन अवश्य किया गया है कि वह घटना के समय गांव में नहीं था, परन्तु जब इस साक्षी से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह की गयी है, तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब उसे पता चला कि उसे गवाह बनाया गया है, तब उसने इस संबंध में एक शपथ पत्र दिया था, परन्तु इस साक्षी द्वारा यह

स्वीकार किया गया है कि **यह कहना सही है कि इस घटना में श्रीमती अतरश्री की गोली लगने से मौके पर मृत्यु 7. 30 बजे हो गयी थी एवं यह भी कहना सही है कि घटना वादी के घर पर हुई थी और यह कहना भी सही है कि वादी ने अपने भाई के विरुद्ध मुकदमा लिखाया था। घटना से पूर्व बटवारे को लेकर आपस में मन मुटाव हो गया था। राजेश द्वारा आशाराम को एक लाख रुपया देने की बात हुई थी।**

18. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०-6 के रूप में डॉ० आर. डी. यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 04. 02. 2012 को वह जिला चिकित्सालय मैनपुरी में पैथोलोजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उसी दिन 3. 55 पी. एम. पर अतरश्री पत्नी श्री अमृत सिंह उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी हवेली थाना बिछवां, जिला मैनपुरी के शव का शव विच्छेदन किया था। इसे कपड़े में सीलबंद कर एस. ओ. थाना बिछवां, जिला मैनपुरी के द्वारा भेजा गया था और सिपाही 350 उमाशंकर परिहार और होमगार्ड 415 मुहब्बत सिंह थाना बिछवां, जिला मैनपुरी द्वारा लाया गया था। सील मिलान करने पर सही पाया और इसे उसके सामने खोला गया था। शव विच्छेदन सं०- 47/ 12 थी। मृत्यु के पश्चात् का सम्भावित समय लगभग एक तिहाई दिन का था। मृतका दुबले- पतले कद काठी की थी। दुर्बलता के कारण कोई चिन्ह मौजूद नहीं थे। मृत्यु के पश्चात् की अकड़न शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से में मौजूद थी और आंशिक रूप से कई नसें भी मौजूद थी। पी. एम. स्टेनिंग मौजूद नहीं थी। सड़न मौजूद नहीं थी।

मृत्यु से पूर्व की चोटें-

अग्नेयास्त्र के घुसने का घाव, जिसकी माप 1x1 सेमी. थी, जोकि सीने की गुहा तक गहरा था और दाहिनी हसुली हड्डी के भीतरी सिरे पर मौजूद था। घाव खुरसट में कॉलर से घिरा हुआ था। घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे। घाव गुदन से घिरा हुआ था, जिसकी नाप 2x1. 5 सेमी. थी। घाव की दिशा नीचे की ओर और पीछे की ओर थी। **एक धातु की गोली चौथी वक्षीय कशेरुका से प्राप्त हुई थी। दाहिनी हसुली का भीतरी किनारा मैनुविखिया हड्डी और चौथी वक्षीय कशेरुका टूटी हुई थी।** मृतका की दोनों आंखे खुली हुई थी। मुख आधा खुला हुआ था और मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियां पेल थी। दोनों प्लूरा और दोनों फेफड़े पेल थे। दाहिना प्लूरा और दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था। ह्रदय के दोनों कक्ष खाली थे। दाहिने फेफड़े की गुहा में 400 एम. एल. खून और खून का थक्का मौजूद था। मुखगुहा में दांतों की संख्या 2/ 0 थी। आमाशय में 150 एम. एल. पेस्टी जैसा खाद्य पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत पचे हुए भोजन व गैसों से आधी भरी थी। यकृत, प्लीहा और दोनों गुर्दे पेल थे। पित्ताशय आधा भरा था। मूत्राशय खाली था। गर्भाशय में कोई भ्रूण मौजूद नहीं

था। **उसकी राय में मृतका की मृत्यु मृत्युपूर्व अग्नेयास्त्र से आयी चोटों के कारण अत्यधिक खून बह जाने व सदमे से हुई।** मृतका के शव से धोती 1, ब्लाउज 1, जर्सी 1, पेटीकोट 1, बिछुआ सफेद धातु के 4, लच्छा सफेद धातु के दो और कांच की चूड़ियां, जिन्हें टुकड़ों में करके सीलबंद कर संबंधित सिपाही को सुपुर्द कर दिया। **मृतका के शव से धातु की एक गोली (बुलट) बरामद हुई थी, जिसे दोहरे लिफाफे में सीलबंद कर संबंधित सिपाही द्वारा एस. एस. पी. मैनपुरी को भेजा गया।** पुलिस प्रपत्रों की संख्या 9 थी, जिन्हें उसने देखकर उन पर अपने हस्ताक्षर किये थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसने नकल पोस्टरमार्टम अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जो पत्रावली पर कागज सं०- 6 अ के रूप में उपलब्ध है, जो उसकी लिखी व दस्तखती है। इस पर प्रदर्श क- 2 डाला गया। मृतका की मृत्यु दिनांक 04. 02. 2012 को 7. 30 बजे सुबह फायर आर्म से आयी हुई चोटों के कारण होना संभव है। पुलिस द्वारा लाये हुए प्रपत्र पंचायतनामा कागज सं०- 5 अ/ 1 लगायत 5 अ/ 2, जी. डी. 5 अ/ 3 की कार्बन प्रति, चालाननाश कागज सं०- 5 अ/ 4, फोटोनाश कागज सं०- 5 अ/ 5, चिट्ठी आर. आई. कागज सं०- 5 अ/ 6, चिट्ठी सी. एम. ओ. कागज सं०- 5 अ/ 7, एफ. आई. आर. की फोटो स्टेट कॉपी को देखकर साक्षी ने कहा कि इन पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी. एम. रिपोर्ट व उपरोक्त प्रपत्र साथ आये कांस्टेबल को दे दिये थे।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 7 के रूप में निरीक्षक जयनरायन सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य देते हुए एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस की फर्द कागज सं०- 4 अ/ 3 पर प्रदर्श क- 3 के रूप में तथा उक्त तमंचे पर वस्तु प्रदर्श- 1 के रूप में, जिंदा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श- 2 के रूप में तथा खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श- 3 के रूप में सिद्ध किया है। अभियोजन साक्षी सं०- 7 जयनरायन सिंह ने उसकी मुख्य परीक्षा में यह सिद्ध किया है कि दिनांक 05. 07. 2012 को अभियुक्त को पी. सी. आर. पर लेकर तमन्चा, एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद किया था और अभियुक्त आशाराम ने यह बताया था कि इसी तमंचे को लेकर वह दिनांक 04. 02. 2012 की सुबह को अपने भाई राजेश के घर बटवारे के तोड़ के फैसले के एक लाख पांच हजार रुपये लेने गया था और उसके भाई ने रुपये देने से मना कर दिया। उसी समय कहासुनी में उसका तमन्चा चल गया, जिसकी गोली पास में खड़ी उसकी मां को लगी, जिससे वह मौके पर ही मर गयी। बरामद तमन्चा, कारतूस व खोखा कारतूस को कपड़े में रखकर सील मोहर करके मौके पर फर्द एस. आई. शिवराम से बोल बोलकर लिखायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध तमन्चा, कारतूस बरामदगी की फर्द को प्रदर्श क- 3 के रूप में साबित किया है तथा तमन्चा, कारतूस एवं खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श- 1

लगायत 3 के रूप में साबित किया है। **इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी, इसलिए उक्त साक्षी का साक्ष्य Unrebutted है, इसलिए उक्त साक्षी का साक्ष्य, साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य है।**

20. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 8 के रूप में निरीक्षक वशिष्ठ यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य देते हुएआरोप पत्र कागज सं०- 3 अ पर प्रदर्श क- 4 के रूप में तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज सं०- 14 अ/ 1 पर प्रदर्श क- 5 के रूप में सिद्ध किया है। उपरोक्त के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी सं०- 8 के रूप में वशिष्ठ यादव को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा- 304 एवं 504 भा. द. स. को प्रदर्श क- 4 के रूप में साबित किया है तथा **विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को प्रदर्श क- 5 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी है, इसलिए उक्त साक्षी का साक्ष्य Unrebutted है** एवं साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 9 के रूप में एस. आई. शिवदास सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 05. 07. 2012 को वह थाना बिछवां में एस. आई. के पद पर कार्यरत था। उसने उस दिन एस. ओ. जयनरायन सिंह के हमराहियान वह, संजय कुमार, संतोष कुमार मय जीप सरकारी चालक साकिर अली मय अभियुक्त पुलिस कस्टडी रिमाण्ड आशाराम पुत्र अमृत सिंह ग्राम हवेली थाना बिछवां, जिला मैनपुरी संबंधित मु०अ०सं०- 49/ 2012, धारा- 304, 504 भा. द. स. का हवाला रपट सं०- 31 समय 18. 30 बजे शाम रवाना होकर ग्राम वउम्मीद बरामदगी आलाकत्ल तमंचा व कारतूस के अभियुक्त के बताये गये स्थान को रवाना होकर ग्राम तिसौली होते हुए मैनपुरी कुरावली रोड पर आये तो ग्राम हवेली के नजदीक कच्चे रास्ते के मोड़ पर आये, तो अभियुक्त ने बताया था कि आगे गाड़ी नहीं जा पायेगी, तब गाड़ी को छोड़कर बरामदगी आलाकत्ल के गवाहन तलाश करने की कोशिश की, लेकिन गांव का कोई तैयार नहीं हुआ, मजबूरन उन पुलिसवालों ने अभियुक्त की उपस्थिति में आपस में जामातलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। अभियुक्त ने कच्चे रास्ते से आगे चलकर ट्यूवैल के पास गढ़े बिजली के डवल खम्भे के ऊपर रखे ट्रांसफॉर्मर व झोपड़ी के बीच खड़ा हो गया और झोपड़ी के पीछे जमीन में खोदकर समय करीब 19. 05 बजे एक पॉलीथिन में लिपटा हुआ तमंचा व कारतूस देते हुए बताया कि **यह दिनांक 04. 02. 2012 को सुबह करीब 7. 30 बजे अपने भाई राजेश के मकान पर मकान के बटवारे के तोड़ के एक लाख पांच हजार रुपये लेने गया था, जिस पर उसके भाई राजेश**

से रुपये न देने की आना कानी पर उसका यही तमंचा उससे चल गया था, जिससे उन लोगों के पास खड़ी मां की गर्दन में गोली लगी थी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गयी थी, तब उसने यह एक जिंदा कारतूस, एक खोखा व एक तमंचा पॉलीथिन में लपेटकर रखवाया। तमंचे को खोलकर देखा गया, तो वह तमंचा पूर्ण चालू हालत में था, जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फसा हुआ था तथा एक जिंदा कारतूस, जिसकी पेंदी पर 8 MMKF लिखा है, को कब्जा पुलिस लिया गया तथा माल को मौके पर ही सर्वे मोहर किया था। फर्द मौके पर तैयार की थी। फर्द पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो पत्रावली पर प्रदर्श क- 3 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सं०- 9 शिवराम सिंह ने पुनः तमन्चा, कारतूस बरामदगी की फर्द को साबित किया है और **इस साक्षी से भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी है, इसलिए उक्त साक्षी का साक्ष्य Unrebutted है एवं साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य है।**

22. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 10 के रूप में एस. के. मेहरा को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि वह थाना बिछवां में दिनांक 23. 03. 2012 से 08. 04. 2012 तक बतौर थानाध्यक्ष तैनात रहा है। थाने पर लम्बित मु०अ०सं०- 49/ 2012, धारा- 304, 504 भा. द. स. बनाम आशाराम की **विवेचना उसने दिनांक 27. 03. 2012 को ग्रहण की,** जिसमें सी. डी. नं०- 4 किता की, जिसके अंतर्गत पूर्व विवेचक श्री बेनीमाधव त्रिपाठी द्वारा किता की गई सी. डी. प्रथम से तृतीय तक का अवलोकन तत्पश्चात् थाने से रवाना होकर मय फोर्स के घटना स्थल ग्राम हवेली पहुंचा। **वादी राजेश कुमार घर पर मिला, जिसकी पत्नी श्रीमती अर्चना जो इस मुकदमे में चश्मदीद गवाह है। इसका बयान अंकित किया तत्पश्चात् अभियुक्त आशाराम की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर तलाश की नहीं मिला था।** उसका स्थानांतरण आगरा हो गया था। मुकदमे की विवेचना लम्बित छोड़कर वह अपने स्थानांतरण पर चला गया था। अभियोजन साक्षी एस. के. मेहरा द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा की पत्नी अर्चना का बयान अंकित किया था, उसे साबित किया गया है और इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में यह स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि श्रीमती अर्चना ने आशाराम के द्वारा फायर करना बताया था और वही फायर उसके पति के पास खड़ी उसकी सास के लगना भी बताया है और मौके पर मृत्यु होना स्वीकार किया है।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 11 के रूप में एस. आई. नन्दकिशोर को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य देते हुए मु०अ०सं०- 151/ 2012, धारा- 3/ 25 आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं०- 4 अ/ 1 लगायत 4 अ/ 2 पर प्रदर्श क- 6 के रूप में तथा जी. डी. कागज सं०- 7 अ/ 3 पर प्रदर्श क- 7 के

रूप में आपके विरुद्ध सिद्ध किया है। अभियोजन साक्षी नन्दकिशोर द्वारा मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304, 504 भा. द. स. के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी. डी. कायमी को किता किया जाना साबित किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी नेत्रपाल सिंह द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा में आयुध अधिनियम की धारा- 3/ 25 की नक्शानजरी को प्रदर्श क- 6 के रूप में साबित किया गया है तथा आयुध अधिनियम की धारा- 3/ 25 के आरोप पत्र को प्रदर्श क- 7 के रूप में साबित किया गया है और बचाव पक्ष की ओर से जिरह में ऐसा कोई प्रश्न इस साक्षी से नहीं पूछा गया है, जिससे उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव पड़े। **उपरोक्त के अलावा अभियोजन साक्षी बेनीमाधव त्रिपाठी द्वारा वादी मुकदमा का 161 का बयान तथा उसी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया जाना व उसके हस्तलेख में होना स्वीकार कर प्रदर्श क- 9 के रूप में साबित किया है** तथा पंचायतनामे को प्रदर्श क- 10 के रूप में साबित किया गया है और जिरह में यह स्वीकार किया है कि घटना के दिनांक 04. 02. 2012 को सुबह लगभग 9. 00 बजे ही विवेचना प्राप्त हो गयी थी। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा, तब मौके पर आस पड़ोस के काफी लोग मौजूद थे। वादी मुकदमा मौके पर शव के पास उपस्थित था। यह बात सही है कि वादी मुकदमा व मुल्जिम दोनों सगे भाई हैं व मृतका अभियुक्त व वादी मुकदमा की सगी मां है तथा एक प्रश्न के जवाब में साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि **वादी मुकदमा ने अपने बयानों में यह बात बतायी थी कि अभियुक्त आशाराम बटवारे को लेकर वादी मुकदमा से लड़ाई झगड़ा व धक्का मुक्की कर रहा था, इसी बीच अभियुक्त ने लिये हुए तमंचे से फायर किया, जो उसकी मां को लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी**।

24. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 12 के रूप में उपनिरीक्षक नेत्रपाल सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य देते हुए मु०अ०सं०- 151/ 2012, धारा- 3/ 25 आर्म्स एक्ट का नक्शानजरी कागज सं०- 5 अ पर प्रदर्श क- 8 के रूप में, आरोप पत्र कागज सं०- 3 अ/ 1 पर प्रदर्श क- 9 के रूप में तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अभियोग की स्वीकृति पर प्रदर्श क- 10 के रूप में सिद्ध किया है।

25. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 13 के रूप में निरीक्षक बेनीमाधव त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 04. 02. 2012 को वह थाना बिछवां पर बतौर एस. ओ. के पद पर तैनात था। उस दिन वादी राजेश कुमार पुत्र अमृत सिंह निवासी ग्राम हवेली थाना बिछवां, मैनपुरी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304, 504 भा. द. स., थाना बिछवां बनाम आशाराम पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना उसने स्वयं ग्रहण की थी। सी. डी. का

पर्चा नं०- 1 दिनांक 04. 02. 2012 को किता किया था। उक्त पर्चे में नकल तहरीर, बयान एफ. आई. आर. लेखक एच. एम. चरन सिंह अंकित किये थे। सी. डी. का पर्चा नं०- 2 दिनांक 10. 02. 2012 को किता किया था। उक्त पर्चे में नकल पंचायतनामा, नकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान कांस्टेबल उमाशंकर पचौरी, एच. जी. मोहब्बत सिंह, बयान पंचान श्रीकृष्ण, जबर सिंह, सौदान सिंह, धर्मवीर तथा अमृत सिंह के बयान अंकित किये थे। सी. डी. का **पर्चा नं०- 3 दिनांक 17. 02. 2012 को किता किया था। उक्त पर्चे में बयान वादी राजेश कुमार एवं वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी बनाया था। उक्त नक्शानजरी पत्रावली पर कागज सं०- 4 अ के रूप में उसके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में उपलब्ध है,** जिस पर प्रदर्श क- 11 डाला गया। इसी पर्चे में बयान समाई साक्षी रामब्यास, सुभाष चन्द्र के बयान अंकित किये थे। इसके बाद उसका स्थानांतरण अन्य थाने में हो जाने की वजह से उक्त विवेचना अन्य विवेचक के सुपुर्द कर दी गयी थी। दिनांक 04. 02. 2012 को मृतका श्रीमती अतरश्री पत्नी अमृत सिंह निवासी हवेली थाना बिछवां, मैनपुरी के पंचायतनामे की कार्यवाही उसके द्वारा सम्पादित की गयी थी। दौरान कार्यवाही नियुक्ति पंचान, स्थिति नाश, चोटें, हुलिया, कपड़े तथा पंचों की राय लेकर अपनी राय देकर उक्त पंचायतनामा पर पंचों के हस्ताक्षर कराकर उसने अपने भी हस्ताक्षर किये थे। उपरोक्त पंचायतनामा पत्रावली पर कागज सं०- 5 अ/ 1 लगायत 5 अ/ 2 के रूप में उसके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में उपलब्ध है, जिस पर प्रदर्श क- 12 डाला गया। उक्त पंचायतनामा से संबंधित चालाननाश, फोटोनाश, चिट्ठी आर. आई. एवं चिट्ठी सी. एम. ओ. पत्रावली पर क्रमशः कागज सं०- 5 अ/ 4 लगायत 5 अ/ 7 के रूप में उसके हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में उपलब्ध हैं, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क- 13 लगायत 16 डाले गये। यही उसका बयान है।

26. अभियोजन पक्ष की ओर से उनके कथनों के समर्थन में साक्षी सं०- 14 के रूप में उपनिरीक्षक चरन सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने उसकी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य देते हुए मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304, 504 भा. द. स. की प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं०- 11 अ/ 1 लगायत 11 अ/ 2 पर प्रदर्श क- 17 के रूप में तथा उक्त मुकदमे की जी. डी. कागज सं०- 7 अ/ 3 पर प्रदर्श क- 18 के रूप में सिद्ध किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी चरन सिंह द्वारा मु०अ०सं०- 49/ 2012, अंतर्गत धारा- 304, 504 भा. द. स. की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जी. डी. कायमी का किता किया जाना साबित किया है।

27. पक्षकारों की बहस सुनी गयी। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 04. 02. 2012 समय करीब 7. 30 बजे सुबह के वादी मुकदमा राजेश कुमार अपने घर पर गाय का गोबर उठा रहा था एवं साफ

सफाई कर रहा था, उसी समय वादी मुकदमा का बड़ा भाई आशाराम घर पर आया और घर के बटवारे में तयशुदा एक लाख पांच हजार मांगने लगा और बटवारे को लेकर गाली गलौज करने लगा। जब वादी मुकदमा ने गाली देने से मना किया, तो अभियुक्त आशाराम वादी मुकदमा के साथ धक्कामुक्की करने लगा और उसी दौरान अभियुक्त ने उसके हाथ में लिये तमन्चे से फायर कर दिया, जिससे फायर/ गोली वादी मुकदमा के पास खड़ी उसकी मां श्रीमती अतरश्री को लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी एवं दिनांक 05. 07. 2012 को अभियुक्त आशाराम को न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर तमन्चा एवं कारतूस की बरामदगी एस. ओ. जयनरायन सिंह मय एस. आई. शिवदास सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार, सन्तोष कुमार एवं चालक शाकिर अली, की गई। अभियुक्त द्वारा स्वयं ट्यूवैल के पास आकर और झोपड़ी के पीछे जमीन से मिट्टी हटाकर पॉलीथिन में लिपटा हुआ तमन्चा व कारतूस निकालकर दिये व बताया कि यह वही तमन्चा व कारतूस हैं, जिसे उसने दिनांक 04. 02. 2012 को सुबह करीब 7. 30 बजे उसके भाई राजेश के मकान के बटवारे के तोड़ के एक लाख पांच हजार रुपये मांगे थे और जब उसके भाई ने रुपये देने से मना कर दिया, तो उसके तमन्चे से गोली चली, और वह गोली उसके भाई राजेश के पास में खड़ी उसकी मां के गर्दन में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गयी थी। वादी मुकदमा द्वारा तमन्चा, खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस तथा One Metallic Bullet विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये थे और विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट से यह साबित होता है कि विवादित कारतूस चिन्हित EC- 1 पर उपस्थित फायरिंग पिन के दोनों चिन्ह व इस पर उपस्थित ब्रीच के चिन्ह व्यक्तिग विशेषताओं में परीक्षणार्थ कारतूसों चिन्हित TC- 1, TC- 2 पर उपस्थित फायरिंग पिन व ब्रीच के चिन्हों के समान थे, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि विवादित कारतूस चिन्हित EC- 1 देशी पिस्तौल चिन्हित 1/ 2013 द्वारा चलाया गया था और इस सम्पूर्ण कथानक को अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है और इसी आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर अधिक से अधिक सजा दिये जाने की याचना की गयी है, जबकि खण्डन में अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष बताया गया है एवं तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के पांचों साक्षियों ने उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दिया है। वादी मुकदमा द्वारा घटना सुबह 5. 00 बजे की बतायी गयी है, जबकि अन्य साक्षियों द्वारा घटना सुबह के 7. 30 बजे के बतायी गयी है। वादी की मां सुबह शौच के लिए खेत पर गयी थी, वहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसकी मां से गले की हसली व कुण्डल छीनते समय तमन्चे से फायर किया, वह गोली उसकी मां को लगी, जिससे उसकी मौत हो गयी थी। घटना को वादी मुकदमा व उसकी पत्नी अर्चना फायर की आवाज सुनकर जब खेत पर पहुंचे,

तब तक वहां से बदमाश फरार हो चुके थे। अंधेरा होने के कारण वह बदमाशों को पहचान नहीं पाये। चूंकि वादी मुकदमा की उसके भाई आशाराम से बटवारे को लेकर कहासुनी हो गयी थी, उसी शक के आधार पर वादी मुकदमा ने अपने भाई आशाराम के विरुद्ध मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त से कोई तमन्चे की बरामदगी नहीं हुई थी। उसे पी. सी. आर. पर लेकर तमन्चा व कारतूस की झूठी बरामदगी दिखा दी गयी और इन्हीं आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

28. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को ही उसके कथानक को साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है और वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध भा. द. स. की धारा- 304 एवं 504 एवं आयुध अधिनियम की धारा- 3/ 25 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। अतः न्यायालय को देखना यह है कि क्या अभियोजन पक्ष पेश किए गए साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध उक्त आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

29. पक्षकारों के उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

30. वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आया है, उससे यह साबित है कि वादी मुकदमा राजेश कुमार तथा अभियुक्त आशाराम सगे भाई हैं और जिसकी हत्या हुई है, वह वादी मुकदमा तथा अभियुक्त की मां थी।

31. वर्तमान प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के एवं औपचारिक साक्षियों द्वारा न्यायालय में जो साक्ष्य दिया गया है, उससे यह साबित है कि वादी मुकदमा व अभियुक्त की मां की हत्या गोली लगने से ही हुई थी।

32. उपरोक्त के अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त आशाराम से बरामद आलाकत्ल (तमन्चा) से गोली चलना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से साबित होता है तथा आयुध अधिनियम की धारा- 3/ 25 के तहत अभियुक्त से तमन्चा, जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस की बरामदगी पूर्णतः साबित है, क्योंकि तमन्चा बरामदगी एवं तैयार फर्द के साक्षियों से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी है, इसलिए अभियुक्त से तमन्चा, एक जिन्दा कारतूस व खोखा कारतूस के संबंध में दिया गया साक्ष्य Unrebutted होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

33. वर्तमान प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी वादी मुकदमा राजेश कुमार तथा उसकी पत्नी अर्चना हैं एवं मुख्य परीक्षा में उपरोक्त

दोनों ही साक्षियों द्वारा अतरश्री की हत्या होना तो स्वीकार किया गया है, परन्तु वादी मुकदमा के घर में हत्या होने से इन्कार करते हुए यह साक्ष्य अवश्य दिया गया है कि सुबह के 7. 30 बजे वादी मुकदमा की मां जब शौच करने गयी थी, तो वहां बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया एवं पहने हुई हसली तथा सोने के कुण्डल छीनने लगे और जब वादी मुकदमा की मां ने विरोध किया तो एक बदमाश ने तमन्चे से फायर कर दिया, जो उसकी मां के लगा, जिससे उसकी मां की मौत हो गयी। फायर की आवाज सुनकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी अर्चना खेतों की तरफ गयी, तब तक अभियुक्तगण वहां से भाग चुके थे।

34. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय को देखना यह है कि वादी मुकदमा की मां की हत्या खेतों पर अज्ञात बदमाशों द्वारा की गयी या वास्तव में वादी मुकदमा की मां की हत्या उसी के भाई आशाराम द्वारा वादी मुकदमा के घर में की गयी और वादी मुकदमा के घर से ही मृतका की लाश बरामद हुई, उस स्थिति में वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं तथ्य के साक्षियों द्वारा जिरह में स्वीकार किये गये साक्ष्य का गहनतापूर्वक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

35. वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी बेनीमाधव त्रिपाठी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि उसके द्वारा ही वादी मुकदमा का द. प्र. स. की धारा- 161 का बयान लिया गया था और **उसी की निशानदेही पर नक्शानजरी बनाया गया है और नक्शानजरी के अनुसार वादी मुकदमा के घर में ही उसकी मां की लाश पायी गयी है** और उक्त कथन को उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर साबित भी किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि तथ्य के साक्षियों द्वारा ऐसी स्वीकार्योक्ति की जाती है कि मृतका की लाश वादी मुकदमा के घर से ही मिली थी, उस स्थिति में वादी मुकदमा व उसकी पत्नी का वह साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है कि सुबह के 7. 30 बजे उसकी मां शौच के लिए खेतों पर गयी थी, तो वहां अज्ञात अभियुक्तगण ने उसकी मां के साथ लूट की थी और जब उसकी मां ने इसका विरोध किया तो एक अभियुक्त ने गोली मारकर उसकी मां की हत्या कर दी थी।

36. उपरोक्त के अलावा वादी मुकदमा द्वारा उसकी जिरह में यह भी स्वीकार किया गया है कि यह सही है कि घटना दिनांक 04. 02. 2012 सुबह के करीब 7. 30 बजे की है। उसकी मां को तमन्चे की गोली लगी थी। **उसके घर के दो गेट हैं, पीछे वाले गेट पर उसकी मां की हत्या हुई थी।** यह बात भी सही है कि उसने अपने भाई आशाराम के विरुद्ध उसकी उपस्थिति में ही उसकी मां की हत्या आशाराम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखायी थी, क्योंकि उस समय उसका और उसके भाई का बटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। बाद में उसने अपने भाई आशाराम को बटवारे वाला पैसा दे दिया था। **वादी मुकदमा की उपरोक्त जिरह से साबित हो जाता है कि वादी मुकदमा की मां की**

हत्या वादी मुकदम के घर में ही हुई थी और घटना के समय वादी मुकदमा व उसके भाई अभियुक्त आशाराम के मध्य पैसे के लेनदेन का विवाद था और घटना के बाद वादी मुकदमा द्वारा आशाराम को पैसा दे दिया गया, इससे हत्या का मोटिव भी साबित होता है। इस प्रकार वादी मुकदमा द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य देना कि अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी मां को गोली खेतों में तब मारी गयी थी, झूठा साबित हो जाता है और यह साबित हो जाता है कि वादी मुकदमा की मां को अभियुक्त आशाराम द्वारा वादी मुकदमा के घर में ही झगड़े के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गयी। उपरोक्त के अलावा अभियोजन साक्षी सं०- 2, जो कि वादी मुकदमा की पत्नी है द्वारा जिरह में यह स्वीकार करना कि अभियुक्त आशाराम उसके सगे जेठ हैं व उसके पति के सगे भाई हैं, से साबित होता है कि आशाराम द्वारा उसी की मां की हत्या किये जाने के उपरान्त दोनों भाइयों तथा वादी मुकदमा की पत्नी ने आपस में समझौता कर लिया, इसलिए वादी मुकदमा व उसकी पत्नी ने न्यायालय में मुख्य परीक्षा में दिये बयान में आशाराम के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिया है। उपरोक्त के अलावा साक्षी सुभाष ने जिरह में स्वीकार किया है कि **वह दिनांक 04. 02. 2012 को अतरश्री के घर पर गया था। अतरश्री का शव देखा था। उसकी गोली मारकर हत्या की गयी थी। अभियुक्त आशाराम उसकी मां की हत्या के संबंध में जेल गया था।** साक्षी सुभाष द्वारा जिरह में की गयी स्वीकार्योक्ति तथा वादी मुकदमा द्वारा जिरह में की गयी स्वीकार्योक्ति से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वादी मुकदमा की मां की हत्या उसके घर के अन्दर ही हुई थी। उपरोक्त के अलावा अभियोजन साक्षी अवधेश सिंह ने उसकी मुख्य परीक्षा में ही यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 04. 02. 2012 को सुबह के 7. 30 बजे घटना हुई थी। गांव में ही अतरश्री के गोली लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। घटना की रिपोर्ट वादी मुकदमा राजेश ने अपने भाई आशाराम के विरुद्ध लिखाई थी एवं इस साक्षी ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि **यह कहना सही है कि घटना वादी मुकदमा के घर हुई थी और यह कहना भी सही है कि वादी मुकदमा ने अपने भाई के विरुद्ध मुकदमा लिखाया था। घटना से पूर्व बटवारे को लेकर वादी मुकदमा व अभियुक्त आशाराम के मध्य मनमुटाव था। राजेश द्वारा आशाराम को एक लाख रुपया देने की बात हुई थी।** उपरोक्त से निर्विवाद रूप से यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त आशाराम द्वारा ही उसकी मां की हत्या की गयी थी और बाद में दोनों भाइयों ने आपस में समझौता कर लिया, इसीलिए वादी मुकदमा व उसकी पत्नी ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिया है।

37. उपरोक्त के अलावा अभियोजन साक्षी डॉ० आर. डी. यादव, जिनके द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम किया गया था, के द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि **मृतका के शरीर पर आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव सीने की गुहा तक गहरा था** तथा एक धातु की गोली चौथी वक्षीय कशेरुका से प्राप्त

हुई थी। दाहिनी हसली का भीतरी किनारा मैनुविखिया हड्डी और चौथी वक्षीय कशेरुका टूटी हुई थी। **मृतका की मृत्यु मृत्युपूर्व आग्नेयास्त्र से आई चोटों के कारण अत्यधिक खून बह जाने से हुई थी,** अर्थात् डॉक्टर के साक्ष्य से साबित हो जाता है कि मृतका की मृत्यु आग्नेयास्त्र से ही हुई थी। उपरोक्त के अलावा साक्षी जयनरायन सिंह, वशिष्ठ यादव, शिवदास सिंह, ए. के. मेहरा, नन्दकिशोर, नेत्रपाल, बेनीमाधव त्रिपाठी तथा चरन सिंह द्वारा न्यायालय उपस्थित होकर अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और अभियुक्त से बरामद तमन्चा, एक जिन्दा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस की बरामदगी एवं फर्द को साबित किया गया है तथा यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त की निशानेदही पर बरामदशुदा तमन्चा वही है, जिससे अभियुक्त द्वारा घटना के दिनांक को उसकी मां की गोली मारकर हत्या की गयी थी, जिसका समर्थन विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट से भी होता है।

38. वर्तमान प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध भा. द. स. की धारा- 304 एवं 504 में आरोप विरचित किये गये हैं। भा. द. स. की धारा- 504 के आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये किसी साक्षी द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए भा. द. स. की धारा- 504 में अभियुक्त आशाराम दोषमुक्त किये जाने योग्य है, परन्तु जहां तक अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध विरचित किये गये भा. द. स. की धारा- 304 के आरोप का प्रश्न है, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित किया गया है। जिरह के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवेचक श्री बेनीमाधव त्रिपाठी से एक प्रश्न पूछा गया है कि आपके द्वारा पर्चा नं०- 3 किता किया गया है, उसमें वादी मुकदमा का बयान अंतर्गत धारा- 161 अंकित किया गया है, उसमें अभियुक्त आशाराम द्वारा उसके व उसकी मां के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करना नहीं बताया है, जिसका साक्षी ने उत्तर दिया है कि वादी मुकदमा ने उसके बयानों में यह बात बतायी थी कि आशाराम बटवारे को लेकर उससे लड़ाई- झगड़ा, धक्कामुक्की कर रहा था, इसी बीच अभियुक्त के तमन्चे से फायर हुई, जो उसकी मां को लगा, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी, से निष्कर्ष निकलता है कि जान से मारने के उद्देश्य से फायर किया जाता, तो अपराध भा. द. स. की धारा- 302 का साबित होता, परन्तु अभियुक्त यह निश्चित रूप से जानता था कि उसका तमन्चा चालू हालत में है और व लोडिड है और यदि किसी के ऊपर किसी पर निशाना साधकर गोली चलायी जाती है, तो उसकी हत्या होना संभाव्य है। चूंकि अभियुक्त आशाराम द्वारा झगड़े के समय वादी मुकदमा के ऊपर गोली चलायी गयी थी, परन्तु वह गोली वादी मुकदमा को न लगकर पास में खड़ी उसकी मां को लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो गयी,

इसलिए अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध भा. द. स. की धारा- 304 भाग II का आरोप साबित होता है।

39. भा. द. स. की धारा- 304 यह प्रावधान करती है कि **जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, और उसे यह पता है कि यह कार्य जानलेवा हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य (intention) उसे मारना नहीं था, तो यह 304 भाग II के अंतर्गत आता है**।

40. पक्षद्रोही साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं में [Raja Vs. State of Karnataka, (2016) 10 SCC 506, Pooja Pal Vs. Union of India, (2016) 3 SCC 135, Vinod Kumar Vs. State of Punjab, (2015) 3 SCC 220, Veer Singh Vs. State of UP, (2014) 2 SCC 455 एवं Shyamal Ghosh Vs. State of WB, AIR 2012 SC 3539] इस आशय की विधि प्रतिपादित की गयी है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप से नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्ष उस भाग पर भरोसा कर सकते हैं, जो उनके केस को साबित करता हो। वर्तमान प्रकरण में भी अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आया है और सभी साक्षियों ने जो साक्ष्य दिया है कि कथित दिनांक एवं समय पर वादी मुकदमा की मां की हत्या हुई थी, परन्तु पक्षद्रोही साक्ष्य इस बावत दिया गया है कि मृतका को गोली घर में नहीं लगी थी, बल्कि जब वह सुबह 7. 30 बजे खेतों पर शौच करने गयी थी, तो वहां अज्ञात बदमाशों द्वारा उसे गोली मार दी गयी, जबकि सत्यता यह है कि मृतका को गोली वादी मुकदमा के घर में ही मारी गयी थी और लाश भी वादी मुकदमा के घर में पायी गयी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अथवा अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि मृतका की लाश को खेतों से उठाकर वादी के घर में रख दिया हो, जबकि अभियोजन साक्षियों ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादी मुकदमा की मां को गोली वादी के घर में ही मारी गयी थी तथा अभियोजन साक्षियों द्वारा यह साक्ष्य भी दिया गया है कि घटना से पूर्व वादी मुकदमा व उसके सगे भाई में बटवारे को लेकर विवाद था। वादी मुकदमा, अभियुक्त को बटवारे में मिले रुपये एक लाख पांच हजार को वापस नहीं दे रहा था और वह रुपये मांगने अभियुक्त आशाराम वादी मुकदमा के घर दिनांक 04. 02. 2012 सुबह 7. 00 बजे आया था और जब वादी मुकदमा ने रुपये देने में आनाकानी की तो वादी मुकदमा व अभियुक्त में धक्कामुक्की हुई और उक्त घटना के समय अभियुक्त आशाराम के हाथ में तमन्चा था, उस तमन्चे से उसने फायर किया, जो उसकी मां को लगा, जिससे मौके पर ही उसकी मां की मृत्यु

हो गयी, इसलिए अभियोजन साक्षियों द्वारा जिरह में की गयी स्वीकार्योक्ति को विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय अभियुक्त आशाराम को दोषसिद्ध किया जाना विधिसंगत समझती है।

41. अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन पक्ष साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 04. 02. 2012 को सुबह के 7. 30 बजे जब वादी मुकदमा व उसकी मां घर पर थे, उसी समय वादी मुकदमा का भाई आशाराम घर पर आया और बटवारे को लेकर कहासुनी व धक्कामुक्की करने लगा और जब वादी मुकदमा द्वारा उसे रोका गया, उसी समय अभियुक्त आशाराम द्वारा हाथ में लिये लोडिड तमन्चा से फायर किया जो वादी मुकदमा के पास खड़ी उसकी मां अतरश्री को लगा, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी एवं अभियुक्त आशाराम द्वारा जिस तमन्चे से फायर करके उसकी मां की हत्या की गयी थी, उसकी बरामदगी फर्द व उससे हत्या किया जाना भी अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त सन्देह से परे अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध साबित किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध लगाये गये भा. द. स. की धारा- 304 भाग II एवं आयुध अधिनियम की धारा- 3/ 25 के आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्त आशाराम को भा. द. स. की धारा- 304 भाग II एवं आयुध अधिनियम की धारा- 3/ 25 में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा प्रतिभूगण के प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंचबाद पेश हो तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध भा. द. स. की धारा- 504 का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त आशाराम भा. द. स. की धारा- 504 में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>दिनांकः 15. 04. 2026</u> (**जहेन्द्र पाल सिंह**)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 4,

मैनपुरी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

<u>दिनांकः 15. 04. 2026</u> (**जहेन्द्र पाल सिंह**)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 4,

मैनपुरी।

<u>लंचबाद</u>

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंचबाद पेश हुई। सिद्धदोष अभियुक्त आशाराम के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त गरीब एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति है। उसकी परिवार की आजीविका चलाने वाला कोई नहीं है। जेल में निरुद्ध रहने से उसका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएगा, इसलिए अभियुक्त को कम से कम सजा व कम से कम अर्थदण्ड दिये जाने की याचना की गयी है, जबकि खण्डन में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सिद्धदोष अभियुक्त आशाराम द्वारा स्वयं की मां की गोली मारकर हत्या की गयी है। ऐसी स्थिति में सिद्धदोष अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा दिये जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा पक्षकारों के उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्त द्वारा भाई से सम्पत्ति के विवाद में अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या की गयी है, इसलिए अभियुक्त आशाराम न्यायालय से किसी सहानुभूति का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जिस मां की सुरक्षा उसके पुत्र/ अभियुक्त को करनी चाहिये थी, उसी पुत्र ने उसकी मां की जान ले ली, इसलिए भा. द. स. की धारा- 304 भाग II में वर्णित अधिकतम सजा से अभियुक्त आशाराम को दण्डित किया जाना न्यायालय के मत में उचित होगा, जिससे भविष्य में कम से कम अपनी मां के विरुद्ध इस तरह के लोग ऐसा अपराध कारित करने से बचें। अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्त आशाराम को भा. द. स. की धारा- 304 भाग II में **10 वर्ष** के साधारण कारावास एवं मुव. 10,000/- रु० के अर्थदण्ड से एवं धारा- 3/25 आयुध अधिनियम में **03 वर्ष** के कारावास एवं मुव. 5,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा पूर्ण होना प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

(i) सत्र परीक्षण संख्या- 685/2013, मुकदमा अपराध सं०- 49/2012, थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी में सिद्धदोष अभियुक्त **आशाराम** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 304 भाग II में 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं मुव. 10,000/- रु० (दस हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त आशाराम को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(ii) सत्र परीक्षण संख्या- 84/2014, मुकदमा अपराध सं०- 151/2012, थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी में सिद्धदोष अभियुक्त **आशाराम** को आयुध अधिनियम की धारा- 3/25 में 03 वर्ष के कारावास एवं मुव. 5,000/- रु० - (पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने पर सिद्धदोष अभियुक्त आशाराम को तीन माह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(iii) सिद्धदोष अभियुक्त **आशाराम** का अविलम्ब सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, मैनपुरी प्रेषित किया जाये। अभियुक्त की सजायें एक ही समव्यवहार की होने के कारण साथ- साथ चलेंगी तथा अभियुक्त द्वारा वर्तमान प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि सजा के प्रभावी भाग में समायोजित की जाएगी।

(iv) सत्र परीक्षण संख्या- 685/2013, मुकदमा अपराध सं०- 49/2012, थाना- बिछवां, जिला- मैनपुरी में अभियुक्त **आशाराम** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 504 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(v) निर्णय की एक प्रति अभियुक्त **आशाराम** को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाए।

(vi) इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या- 84/2014, मु०अ०सं०- 151/2012, अंतर्गत धारा- 3/25 आयुध अधिनियम, राज्य बनाम आशाराम की पत्रावली पर रखी जाये।

(vii) सत्र परीक्षण संख्या- 84/2014, मुकदमा अपराध सं०- 151/2012 में माल मुकदमा (तमन्चा तथा कारतूस) वाद मियाद अपील या अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन निस्तारित होगा।

(viii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 406 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी को प्रेषित हो।

दिनांकः 15. 04. 2026 (**जहेन्द्र पाल सिंह**)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 4,
मैनपुरी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 15. 04. 2026 (**जहेन्द्र पाल सिंह**)
निखिल कश्यप आशुलिपिक
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 4,
मैनपुरी।
(जे. ओ. कोड- यू. पी. - 6434)

JAHENDRA PAL SINGH
Digitally signed by JAHENDRA PAL SINGH
Date: 2026.04.15 14:58:04 +0530